राम अवतार

बनाम

राज्य (दिल्ली प्रशासन)

8 अगस्त, 1985

[एस. मुर्तज़ा यज़ल अली और ए. वरदराजन, जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302

अभियुक्त पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया - अकेले परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध होना सराहना की बात है - अदालत पूरे साक्ष्य को संचयी रूप से प्रभावित है।

आपराधिक मुकदमे - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - एक दूसरे से जुड़ी निरंतर परिस्थितियों की श्रृंखला, संपूर्ण साक्ष्य के संचयी प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अपीलार्थी एवं मृतका का विवाह घटना दिनांक से लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के करीब छह महीने बाद ही दोनों पति-पत्नी के बीच रिश्तों में खटास आने लगी। आरोपी ने मृतका

की उपेक्षा की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे चिढाया, उसकी वैक्सिंग की और यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी की। इन सबकी सूचना दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए पंचायत बुलानी पड़ी, जिसका भी कोई फायदा नहीं हुआ।

साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सत्र न्यायालय की राय थी कि अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ और तदनुसार, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसने उपरोक्त निर्णय को पलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

इस न्यायालय में अपीलकर्ता की अपील को खारिज किया जा रहा है।

अभिनिर्धारित: 1. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। विचारण न्यायालय गलत हो गया है, और उसने मौलिक रूप से गलत दृष्टिकोण अपनाया है। विचारण न्यायालय का फैसला न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि बिल्कुल विकृत है। मामले की परिस्थितियों और गवाहों की स्वीकारोक्ति के

मद्देनजर, आरोपी के खिलाफ मामला उचित संदेह से परे साबित हुआ है। यह ऐसा मामला नहीं है। जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं। [516 जी,डी-बी]

2. किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और निर्णायक होने चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने की कोई विशेष या विशेष विधि है। हालाँकि, किसी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य को उचित परिप्रेक्ष्य में न मानने के खतरे से सावधान रहना चाहिए, उदाहरण के लिए जहां परिस्थितियों की एक श्रृंखला एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, वहां अदालत के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को छोटा करना और तोड़ना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां परिस्थितियों की एक श्रृंखला एक-दूसरे पर निर्भर होती है, उन्हें एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए, अन्यथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रमाण की अवधारणा ही पराजित हो जाएगी। [510 जी-511 ए]

3. जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य में एक-दूसरे से जुड़ी निरंतर परिस्थितियों की श्रृंखला शामिल होती है, वहां अदालत को किसी आरोपी को बरी करने या दोषी ठहराने से पहले पूरे साक्ष्य का संचयी प्रभाव लेना होता है। [516 F]

मौजूदा मामले में, सत्र न्यायाधीश ने एक त्रुटि की थी। सभी परिस्थितियों को एक साथ लेने के बजाय, जो निस्संदेह परिस्थितिजन्य हैं और एक-दूसरे के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति से अलग-अलग निपटकर खुद को पूरी तरह से अप्रत्यक्ष कर दिया है, जिससे मामले में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय गलत दृष्टिकोण अपनाया गया है। मृतक द्वारा लिखे गए कुछ पत्र आरोपी की संवेदनहीन और क्रूर प्रकृति और उसके व्यवहार को दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी तरह से उदासीन है। मृतक ने अपने माता-पिता से उसे तुरंत अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना की। अपीलकर्ता के आचरण के बावजूद, मृतक के सास-ससुर उसके प्रति बहुत दयालु थे, लेकिन अपीलकर्ता इतना कठोर स्वभाव का था कि वह किसी की बात नहीं सुनता था। कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ और कफ़लिंक की एक जोड़ी की बरामदगी से पता चलता है कि गला घोंटने के दौरान मृतक ने कड़ा प्रतिरोध किया था। चिकित्सीय साक्ष्य भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मृतक की मौत हाथ से गला घोंटने से हुई थी। अभियोजन पक्ष के कई गवाहों पीडब्ल्यूएस 5, 6, 7, 8 और 9 ने बताया कि अपीलकर्ता मृतक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और उनके संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने अभियुक्त और मृतक के संबंधों में सामंजस्य लाने की पूरी कोशिश की। एक और परिस्थिति बड़ी अहम बात यह है कि घटना के बाद आरोपी मुजफ्फर नगर चला गया और अपनी बहन के घर रुका, उसी शाम

वापस आया, एक होटल में फर्जी नाम लिखकर रुका और होटल का रजिस्टर अपने हाथ में ले लिया। यह आरोपी के दोषी विवेक को दर्शाता है।' एक अन्य आंतरिक साक्ष्य जो आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करता है, उसमें मृतक द्वारा अपने माता-पिता को लिखे गए दो पत्र (एक्सटेंशन पीडब्लू 12-ए और बी) शामिल हैं, जिसमें उसने अपने पिता से उसे ले जाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। एस.आई. को दिये, पीडब्लू 18 के बयान से पता चलता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से, मेरठ से दिल्ली तक 5.50 रुपये का एक टिकट बरामद हुआ और अभियुक्त के बनियान में खून के निशान थे। [511 8, जी, 515 ए, सी-डी, 516 ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1980 की आपराधिक अपील संख्या 106

978 की सी.आर.एल अपील संख्या 137 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.1.1950 से।

अपीलकर्ताओं के लिए सुश्री नीरजा मेहरा एवं आई.के वाडेरा।

प्रतिवादी की ओर से अनिल देव सिंह, आर.एन. पोद्दार और जी.डी. गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

फ़ज़ल अली, जे.

इस मामले में अपीलकर्ता को हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है और विचारण न्यायालय ने सबूतों पर विचार करने के बाद यह राय दी कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं हुआ और तदनुसार अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसने विचारण न्यायालय और मामले के फैसले को उलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 379 के तहत इस न्यायालय के समक्ष अपील की।

सबसे पहले हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और निर्णायक होने चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने की कोई विशेष या विशेष विधि है। हालाँकि, भौतिक साक्ष्यों पर उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने के खतरे से बचाता है, उदाहरण के लिए, जहाँ परिस्थितियों की एक श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह न्यायालय के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को छोटा करना और

तोड़ना संभव नहीं है अन्य शब्दों में जहां परिस्थितियों की एक श्रृंखला एक-दूसरे पर निर्भर होती है, उन्हें एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और अलग से नहीं माना जाना चाहिए, अन्यथा पारिस्थितिक साक्ष्य के प्रमाण की अवधारणा ही पराजित हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश इसी भूल में पड़ गये हैं। मौजूदा मामले में, सभी घटनाओं को एक साथ लेने के बजाय, जो निस्संदेह परिस्थितिजन्य हैं और एक-दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रत्येक परिस्थिति से अलग-अलग निपटकर स्वयं को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है, जिससे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय मामले में गलत दृष्टिकोण पेश किया गया।

आइए अब हम पहले मामले का संक्षिप्त सारांश देकर अपीलकर्ता द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उनका विवरण दें। अभियुक्त और मृतका की शादी 6 दिसंबर 1975 को हुई थी... घटना की तारीख से बमुश्किल एक साल पहले शादी के करीब छह महीने बाद दोनों पति-पत्नी के बीच रिश्तों में खटास आने लगी। सबूतों से साफ पता चलता है कि आरोपी ने मृतका की उपेक्षा की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे चिढाया, उसके साथ बदसलूकी की और यहां तक कि उसे पीटा भी। इन सभी बातों की जानकारी दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए पंचायत बुलानी पड़ी,

जिसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह दिखाने के लिए और भी सबूत हैं कि घटना की रात, 16 और 17 नवंबर 1976 की रात के बीच, आरोपी को आखिरी बार कुछ गवाहों द्वारा देखा गया था, जिनके साक्ष्य का उल्लेख हम आगे करेंगे। दूसरे, यह भी साबित हुआ कि अभियुक्त 17 नवंबर 1976 की सुबह अपना घर छोड़कर मुजफ्फर नगर चला गया और वहां अपनी बहन के घर रुका और 17 नवंबर 1976 की शाम को वापस दिल्ली आ गया लेकिन अपने घर में रहने के बजाय वह दिल्ली के पहाड़गंज में वीनस होटल में विनोद कुमार के झूठे और फर्जी नाम से रुके थे, जो सबूतों के अनुसार, उन्होंने होटल रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करते समय लिखा था।

इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक द्वारा लिखे गए कुछ पत्र हैं जो आरोपी की संवेदनहीन और क्रूर प्रकृति और उसके प्रति उसके व्यवहार को दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन था और मृतक ने अपने माता-पिता से उसे तुरंत अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना की। यह सच है कि अपीलकर्ता के आचरण के बावजूद, मृतका के सास-ससुर उसके प्रति बहुत दयालु थे और उन्होंने स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपीलकर्ता इतना सख्त और जिद्दी स्वभाव का था कि उसने किसी की भी नहीं सुनी।

इसके अलावा, साक्ष्य से पता चलता है कि कुछ टूटे हुए हैंगल और कफ़लिंक की एक जोड़ी उन कमरों से बरामद की गई थी जहाँ मृतका का गला घोंटा गया था। चिकित्सीय साक्ष्य भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी। कुछ अन्य परिस्थितियाँ हैं जो अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाती हैं और यदि हम परिस्थितियों को एक साथ लेते हैं तो अनूठा निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला पूरी तरह से साबित कर दिया है।

हम वहां देख सकते हैं कि जिन परिस्थितियों का वर्णन ऊपर किया गया है, वे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला में इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं कि उन्हें काट-छांट करना मुश्किल है और विद्वान सत्र न्यायाधीश को परिस्थितियों को एक-एक करके खारिज नहीं करना चाहिए था और फिर आरोपी बरी नहीं करना चाहिए था। यहीं पर विद्वान जिला न्यायाधीश ने कानून की गंभीर त्रुटि की है। यदि हम साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ें, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता को छोड़कर किसी और ने हत्या नहीं की होगी।

इस प्रस्तावना के साथ, अब हम विचारण न्यायालय के फैसले को उलटने और अभियुक्तों को दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए व्यवहारिक परिस्थितियों की श्रृंखला से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। आरंभ करने के लिए, जैसा कि हमने कहा है, उसकी शादी के एक

वर्ष के भीतर 16 और 17 नवंबर 1976 की रात के दौरान मृतका की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष के कई गवाह (पीडब्ल्यूएस 5, 6, 7, 8 और 9) जिनके साक्ष्य हैं उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर पूरी तरह से विचार किया गया कि अपीलकर्ता मृतक का इलाज कर रहा था और उनके संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। यह उस परिस्थिति से भी पुष्ट होता है जब दोनों पति-पत्नी के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इस प्रकार कहा है:-

> "आरोपी हमेशा मधु के साथ बुरा व्यवहार करता था और कहता था कि वह मधु को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। शादी के करीब 6 महीने बाद सुलह कराने के लिए दिल्ली के बख्तानाल धर्मशाला में एक पंचायत हुई। पंचायत से पहले आरोपी के पिता ने आश्वासन दिया था कि वह आरोपी को बेहतर व्यवहार करने के लिए कहेंगे। लेकिन मृतक के प्रति आरोपी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और आरोपी लड़की को छोड़ने पर आमादा था।"
>
> (पीडब्लू 5, रमेश चंद)

"मधु की हत्या से लगभग 5 या छह महीने पहले, उसके पिता ने पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपी उसका इस्तेमाल करता है उसे पीटना और उसे

छोड़ना बर्बाद कर दिया। उसके 2 या 3 दिन बाद बग्तानाल धर्मशाला, कूचा पट्ट राम में पंचायत हुई और.....पंचायत से पहले आरोपी के पिता ने आश्वासन दिया था कि वह उसे समझाएंगे और देखेंगे कि आरोपी ने क्या मधु के साथ भविष्य में ठीक से व्यवहार किया है।

(पीडब्लू, राम किशन दलाया)

"आरोपी मधु को पीटता था और हमें इस संबंध में कई शिकायतें मिल रही थीं। मैं, रमेश चंद, गंगा प्रसाद और मदन लाल दिल्ली जाकर आरोपी से ऐसा न करने का अनुरोध कर रहे थे। हालांकि, मधु के प्रति आरोपी का व्यवहार खराब था।" परिवर्तन नहीं।"

(पीडब्लू 7, छना लाल)

"उसकी शादी राम अवतार से हुई थी (अभियुक्त) अदालत में उपस्थित था। मदन लाल ने शादी के लगभग 20 या 25 दिन बाद कहना शुरू कर दिया था कि मृतक को अभियुक्तों द्वारा पीटा जाता था और दुर्व्यवहार किया जाता था...एक पंचायत का आयोजन किया गया था। राधे लाल को भी बुलाया गया और पंचायत में शामिल होने के लिए कहा गया।"

(पीडब्ल्यू 8, रण पाल सिंह)

"तब दोनों के बीच लंबे समय तक तनावपूर्ण रिश्ते रहे"

(पीडब्लू 9, गालब चंद)

"आरोपी शुरू से ही मेरी बेटी का इलाज कर रहा था। वह उसे पत्र लिख रहा था। मुझे पता चला कि वह खुश नहीं थी और इसलिए मैं दिल्ली आ गया...मैंने आरोपी से विनती की।" और उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह अपने पिता की उपस्थिति में मेरी बेटी के साथ बेहतर व्यवहार करें। तब उसने आश्वासन दिया था कि भविष्य में कुछ नहीं होगा।"

(पीडब्लू 12, मदन लाल)

"मैं 5 से 7 अक्टूबर 1976 तक लखनऊ में इसके सम्मेलन में भाग लेने गया था। वहां मदन लाल के बड़े भाई छना लाल ने मुझसे शिकायत की थी कि आरोपी राम अवतार मधु के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और मुझे इस मामले को देखना चाहिए। ...तब मैंने उनसे कहा कि उस स्थिति में छन्नू लाल ने मुझसे शिकायत नहीं की होगी। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह आरोपी को ठीक से व्यवहार करने के लिए कहेंगे और भविष्य में कोई शिकायत नहीं होगी।"

(पीडब्लू 13, सोहन लाल वर्मा)

अभियोजन पक्ष के विभिन्न गवाहों के साक्ष्यों से उपरोक्त उद्धारणों से पता चलता है कि दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने अभियुक्तों और मृतक के संबंधों में सामंजस्य लाने की एक उचित ढंग पूरी कोशिश की और अभियुक्त के पिता को चेतावनी दी गई कि उनका बेटा भविष्य में ऐसा व्यवहार करेगा। इस मामले की एक उत्कृष्ट विशेषता यह है कि जबकि मृतका अपने सास-ससुर से मिले व्यवहार से पूरी तरह संतुष्ट थी, फिर भी आरोपी इतना जिद्दी था कि उसने शायद अभिभावक की सलाह सुनी या उस पर ध्यान नहीं दिया।

एक अन्य परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष के मामले को लगभग निर्णायक रूप से साबित करती है, वह है पीडब्लू 1, श्री कृष्ण अवतार का साक्ष्य, जिसके अनुसार, उसने आरोपी को रात 9 या 9.30 बजे के बीच भयावह दृष्टि से देखा था। अपने घर में और इस संबंध में वह इस प्रकार कहते हैं:

> "जब मैं लगभग 9 या 9.30 बजे लौटा तो मैंने आरोपी को उसके घर में देखा। वह उस समय घर में अकेला था। आरोपी का कमरा भूतल पर है जबकि मेरा कमरा पहली मंजिल पर है....जब मैंने उसे देखा तो वह पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में घुस

गया.....फिर मैं आरोपी के कमरे में दाखिल हुआ जहां वह और उसकी पत्नी साथ सोते थे और मधु की लाश देखी."

पीडब्लू 1 आगे घटना स्थल से मिले लेखों की गवाही देता है-

"एक्स-एफ 8 कफ़लिंक की जोड़ी है...एक्स.पीडब्लू-14 के फर्श से एकत्र की गई चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े हैं।"

पीडब्लू 2, एक अन्य स्वतंत्र गवाह, नत्थी लाल का कहना है कि रात में लगभग 12.30 बजे जब वह लाल दरवाजा से सीधे घर आ रहा था, तो उसने आरोपी को उस तरफ से गुजरते देखा और आरोपी ने उसे बताया कि उसने चौकीदार को बताया था कि वह (अपीलकर्ता) जा रहा था और उसके घर का दरवाजा खुला था। एक अन्य गवाह (पीडब्लू 3) को हालांकि शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, फिर भी जहां तक पति-पत्नी के बीच संबंधों का सवाल है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पति-पत्नी के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे।

एक और परिस्थिति जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने नजरअंदाज कर दिया है, वह यह है कि 17 नवंबर 1976 की शाम को मुजफ्फर नगर से लौटने के बाद, अभियुक्त अपने घर में रहने के बजाय, नई दिल्ली के पहाड़गंज के वीनस होटल में रहने लगा। विनोद कुमार के फर्जी और फर्जी नाम से चलाया गया और होटल रजिस्टर

की प्रविष्टियों को अपने हाथ में ले लिया। यह आरोपी के दोषी विवेक को दर्शाता है।' यह एक्स पीडब्लू 14/ए द्वारा सिद्ध होता है जहां इसे इस प्रकार कहा गया है:

> "उपरोक्त रजिस्टर में क्रम संख्या 518 दिनांक 18.11.76 के सामने 1.00 बजे दर्ज की गई एक प्रविष्टि शामिल है...विनोद कुमार, इंडियन 23/3, सर्राफा बाजार, मुजफ्फरनगर, व्यापार मुजफ्फरनगर के संबंध में, कहा गया है कि इसे खाली और आद्याक्षरित किया गया है जरिये अभियुक्त राम अवतार पुत्र राधे लाल, निवासी 2721, छत्ता गिरधर लाल, गली आर्य समाज, बाजार सीता राम, दिल्ली।"

एक अन्य आंतरिक साक्ष्य जो आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करता है, उसमें मृतक द्वारा अपने माता-पिता को लिखे गए दो पत्र (एक्सटी.पीडब्लू-12ए और 12बी) शामिल हैं, जिसमें उसने अपने पिता से उसे ले जाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसका पति उससे दुर्व्यवहार कर रहा था। इन पत्रों सबमें उसने लिखा था:

> "आप (पिता) मुझे यहां से ले जाइए... (वह) मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं।
>
> (एक्स-पीडब्लू 12ए)

"घर में मुझे लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है। पापा और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। (वह) मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाता-पीता और यहां तक कि मुझसे बात भी नहीं करता। जब भी मैं उसके पास आता हूं, वह मुझे डांटता है। आज, उसने मुझे पीटा और वह मुझे घर से बाहर निकालने वाला था लेकिन मम्मी और पापा ने उसे मना लिया... उसने आगे कहा, "मैं इस मतलबी लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता। इसके अलावा हमारे खुजोवाला ने मेरे हित में जो कुछ भी किया है वह अच्छा है (अनुमति)। वह कहती है कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो कम से कम वे (माता-पिता) मुझे ले जाने तो आएंगे... उनका कहना है कि अगर भगवान भी आ जाएं तो वह नहीं मानेंगे और किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखेंगे....आप इस पत्र को टेलीग्राम समझें और कृपया तुरंत यहां पहुंचें। यहाँ दिन-रात रोती रहती है और मम्मी भी लगातार रोती रहती है। वह मुझे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखेगा और मैं भी अब यहां नहीं रहना चाहती....यह पत्र लिखते हुए रो रही हूं। प्रिय पापा, कृपया यथाशीघ्र आएँ।"

विस्तार के अतिरिक्त। पीडब्लू 12-ए और 12-8, जिस घर में हत्या हुई, वहां से एक और पत्र मिला, लेकिन वह पोस्ट नहीं कर सका।

अपने बयान पीडब्लू 18 में, कांशी राम, एस.आई. ने कहा कि आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी से, मेरठ से दिल्ली तक 5.50 रुपये का एक टिकट बरामद किया गया और आरोपी को अपनी शर्ट और बनियान भी उतरवा दी गई, और वह (पीडब्लू 18) ने आरोपी के बनियान को पुलिस हिरासत में ले लिया, जिसके सामने की तरफ खून का धब्बा था।

साक्ष्य का अंतिम भाग जो महत्वपूर्ण भी है और जिसे विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से छुपा दिया है, वह है टूटी हुई चूड़ियाँ और कफ़लिंक की एक जोड़ी की बरामदगी, जो दर्शाती है कि गला घोंटने के दौरान मृतका ने कड़ा प्रतिरोध किया होगा।

ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित नहीं हुआ है। हमारे लिए ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों की विभिन्न श्रृंखलाओं पर उन अन्य परिस्थितियों से अलग करके विचार करना संभव नहीं है, जो उस समय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। यहीं पर विचारण न्यायालय गलत हो गया है और उसने मौलिक रूप से गलत दृष्टिकोण अपना लिया है। ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्पष्ट राय है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि पूरी तरह से विकृत भी है। परिस्थितियों और गवाहों की दलीलों को ध्यान में रखते

हुए, आरोपी के खिलाफ मामला उचित संदेह से परे साबित होता है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव हैं।

निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह देख सकते हैं कि जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य में एक-दूसरे से जुड़ी निरंतर परिस्थितियों की श्रृंखला शामिल होती है, अदालत को आरोपी के रूप में बरी करने या दोषी ठहराने से पहले अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य का संचयी प्रभाव लेना पड़ता है।

ऊपर दिए गए कारणों से, हम खुद को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत पाते हैं और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। यदि अपीलकर्ता जमानत पर है, तो उसे अब आत्मसमर्पण करना होगा और हिरासत में लिया जाएगा और सजा की शेष अवधि काटने के लिए जेल भेजा जाएगा।

एन.वी.के.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।